राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2157/2014

बाबू लाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) झुन्झुनूं।
2. निदेशक, पेंशन कल्याण विभाग, ज्योतिनगर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.11.2014
आदेश की दिनांक : 16.04.2024

<u>**उपस्थित –**</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 29.06.1984 (अनुलग्नक–1) द्वारा पंचायत राज विभाग में अध्यापक ग्रेड–III के पद हुई। जहां अपीलार्थी ने दिनांक 02.07.1984 को कार्यग्रहण कर लिया। राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 06.04.1988 जारी की और दिनांक 11.08.1989 को राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद नियम, 1959 के तहत संशोधन कर अस्थायी शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने के लिए। उपरोक्त अधिसूचनाएं 1988 तक नियुक्त अस्थायी शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने के लिए ही जारी की गई थीं। उपरोक्त अधिसूचना के आधार पर, संबंधित जिला परिषद ने शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने के लिए स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू की। जहां तक अपीलार्थी की सेवाओं के नियमितीकरण का सवाल है, जिला स्थापना समिति ने अपनी बैठक बुलाई और अपीलार्थी की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया और विकास अधिकारी ने दिनांक 06.10.1989 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी की सेवाओं को प्रथम नियुक्ति तिथि 02.07.1984 से नियमित कर दिया गया। राज्य सरकार ने 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ देने हेतु दिनांक 25.01.1992 को आदेश जारी किया। अपीलार्थी 9 वर्ष पर 1992 एवं 1997 में 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ पाने का पात्र हो गया और अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति की तिथि दिनांक 02.07.1984 से 18 वर्ष के लाभ को छोड़कर उनकी सेवाओं की गणना करने के बाद विधिवत लाभ प्रदान किया गया था। 18 वर्ष का लाभ उसकी सेवाओं को नियमितीकरण आदेश जारी होने की तिथी से किया गया। अतः आलौच्य आदेश दिनांक 29.12.2011 नियमितीकरण आदेश के विरूद्ध है। अपीलार्थी अपेक्षित अवधि पूर्ण करने के बाद तृतीय चयनित वेतनमान का

लाभ पाने के लिए पात्र हो गया। विभाग को कई बार अनुरोध करने के बावजूद भी उन्हें यह लाभ नहीं दिया गया। अंततः अपीलार्थी को दिनांक 30.09.2013 को सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया। अपीलार्थी ने उपरोक्त कार्रवाई से व्यथित होकर सेवा में रहते एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन सेवानिवृत्ति तक उसे कोई लाभ नहीं दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, समान स्थिति वाले व्यक्तियों ने भी इसी कारण से व्यथित होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष रिट प्रस्तुत की, जिसमें आदेश दिनांक 30.03.2013 द्वारा ''याचिकाकर्ताओं को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से उनकी लम्बी सेवा की गणना करके चयनित वेतनमान के लिए हकदार माना गया। उच्च न्यायालय ने यह माना कि स्क्रीनिंग का निर्णय और नियमितीकरण का आदेश प्रत्यर्थी विभाग के आदेश हैं और विभाग इसमें संशोधन किए बिना या इसे वापस लिए बिना इसके बाहर नहीं जा सकता है। अपीलार्थी का प्रकरण भी ऐसा ही है जहां स्क्रीनिंग कमेटी के निर्णय के बाद अपीलार्थी की सेवाएं नियमित हो गईं। अपीलार्थी 27 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद तृतीय चयनित वेतनमान/एसीपी के लाभ हेतु भी पात्र हो गया है। अपीलार्थी ने न्याय की मांग के लिए वकील के माध्यम से दिनांक 27.01.2014 द्वारा एक नोटिस प्रस्तुत किया (अनुलग्नक–3)। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा लागू नहीं किया जा सका और बाद में याचिकाकर्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न अवमानना याचिकाएं दायर कीं और नोटिस देने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को आदेश दिनांक 02.02.2014 के माध्यम से लागू किया गया। राज्य सरकार द्वारा आक्षेपित निर्णय के खिलाफ कोई अपील भी दायर नहीं की गई है। आदेश दिनांक 02.02.2014 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपेक्षित अवधि पूरी होने के बाद चयन ग्रेड/एसीपी लाभ के लिए प्रथम नियुक्ति की तारीख से समान स्थिति के व्यक्तियों को स्वीकृत किया गया है (अनुलग्नक–6)।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 2912.2011 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति की तिथि 02.07.1984 से उसकी सेवाओं की गणना करके द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पंचायत समिति पिपराली जिला सीकर द्वारा जारी आदेश दिनाक 29.06.1984 को अस्थायी तौर पर जिला परिषद सेवा चयन आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने या कार्यग्रहण करने की तिथी से 6 माह के लिए अथवा राज्य सरकार के अन्य निर्देश तक जो भी पहिले हो की शर्त के साथ अध्यापक के पद पर की गई तद्नुसार अपीलार्थी ने दिनांक 02.07.1984 को पदभार ग्रहण किया तथा जिला स्थापना

समिति जिला परिषद सीकर द्वारा दिनांक 06.10.1989 को नियमित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अनुसार और माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 3620/2009, 2848/2006 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी में पारित विनिश्चय के अनुसार अपीलार्थी नियमित नियुक्ति 06.10.1989 से ही चयनित वेतनमान सहित सेवा संबधित समस्त लाभ प्राप्ति का विधिक अधिकारी है, अपीलार्थी ने दिनांक 29.12.2011 के आदेश अनुसार लाभ प्राप्त करते हुए सेवानिवृत होकर लगभग 3 वर्ष के बिलम्ब बाद बिना कोई वाद कारण उत्पन्न हुए और बिलम्ब क्षम्य की प्रार्थना के बिना ही सारहीन एवं निरर्थक तथ्यो के आधार पर माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की है। जिला परिषद सीकर के नियमितकरण आदेश दिनांक 06.10.1989 और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Rajasthan Vs. Jagdish Narain Chaturvedi : (2009) 12 SCC 49 पारित विनिश्चय की पालना मे जारी आदेश दिनांक 29.12.2011 विधिसम्मत होने से अपील खारिज योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं उभय पक्ष के कथन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड III पर प्रथम नियुक्ति पंचायत समिति पिपराली द्वारा आदेश दिनांक 29.06.1984 (अनुलग्नक–1) अस्थाई आधार पर 6 माह अर्थात् चयनित आशार्थी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो प्रदान की गई। अपीलार्थी ने दिनांक 02.07.1984 को कार्यग्रहण किया। जिला स्थापना समिति जिला परिषद सीकर द्वारा आदेश दिनांक 06.10.1989 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी की सेवाओं को नियमित किया गया। अपीलार्थी का निवेदन है कि उसे प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ उसकी प्रथम नियुक्ति तिथि 02.07.1984 से स्वीकृत की गई है जबकि आलौच्य आदेश दिनांक 29.12.2011 द्वारा 18 वर्षीय देय चयनित वेतनमान नियमितीकरण के आदेश दिनांक 06.10.1989 से स्वीकृत किया पिरन्तु 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर देय तृतीय चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। अपीलार्थी का निवेदन है कि प्रथम नियुक्ति तिथी 29.06.1984 से द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किए जावे एवं पारिणामिक लाभ और विलम्ब से 12 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने का निवेदन किया गया है।

उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का अस्थाई सेवाओं को पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के निर्देश पर जिला स्थापना समिति, जिला परिषद सीकर द्वारा संवीक्षा कर सेवाए नियमित करने का निर्णय लिया जाकर पत्र दिनांक 06.10.1989 से पंचायत समिति पिपराली को सूचित किया। अपीलार्थी की सेवाएं उसी तिथि से नियमित मानी जायेगी जिस दिन उसकी सवीक्षा कर सेवाएं नियमित करने का निर्णय

लिया गया। अतः अपीलार्थी के प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड के दृष्टिगत सेवाए नियमितीकरण दिनांक 06.10.1989 से माना जायेगा। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 02.07.1984 से उसे नियमित मानने का कथन स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि वह अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति नहीं थी बल्कि अस्थाई तौर पर लगाया गया था। वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य सेवा परिलाभ सेवाओं के नियमितकरण से ही देय होते है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशन अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दूओं पर अपना निर्णय दिया है :–

"(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?

(b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?

(c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?

(d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?

(e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदूओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:–

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future

benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत के संदर्भ में हमारा यह विनम्र मत है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी आधार पर थी, जिसे अपीलार्थी अपनी सेवाकाल में जुड़वाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलार्थी की संवीक्षा कर सेवाएं नियमित करने के निर्णय से पूर्व के अस्थायी आधार पर कार्य करने की अवधि को वरिष्ठता पदोन्नति, चयनित वेतनमान एवं अन्य सेवा परिलाभ देने हेतु गणना करने का अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं है। यह समस्त परिलाभ नियमित नियुक्ति तिथि/नियमितीकरण तिथि से ही देय होते है। अपील के साथ प्रस्तुत अनुलग्नक–6 में भी चयनित वेतनमान प्रथम नियमित नियुक्ति तिथी से गणना कर स्वीकार किया गया है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवा पर देय प्रथम चयनित वेतनमान यदि उसकी प्रथम अस्थायी नियुक्ति से स्वीकृत किया गया है तो उसे प्रत्याहरित नहीं किया जावे एवं कोई वसूली नहीं की जावे। उक्त विवेचन के दृष्टिगत अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य